**न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,गढ़मुक्तेश्वर, हापुड।**
**पीठासीन अधिकारी–श्रीमती पारूल कुमारी, उ.प्र.न्यायिक सेवा (उ०प्र० 3546)**

UPHP120042582025
Warrant or Summons Criminal Case/2126/2025

परिवाद संख्या–1051/2025
मन्सूर खान बनाम तारीक खान
अंतर्गत धारा–138 एन.आई. एक्ट
थाना–गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

**दिनांक–18.04.2026**

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है।

परिवादी मन्सूर खान की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र विपक्षी तारीक खान के विरुद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट में तलब कर दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी/परिवादी ग्राम पलवाड़ा में नर्सरी का कार्य करता है। प्रार्थी / परिवादी की नर्सरी ग्राम पलवाड़ा मे खान नर्सरी के नाम से है तथा प्रार्थी / परिवादी की नर्सरी से विपक्षी 74,000/– रुपये का सामान अमलताश के पेड़, गुलमोहर तथा खजूर के पेड़ ले गये थे, जिसकी एवज में प्रार्थी / परिवादी को विपक्षी ने चैक सं0–016899 अंकन 30,000/– रुपये दिनांकित 20.07.2025 तथा चैक सं0–016898 अंकन 44,000/– रुपये दिनांकित 28.07.2025 सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहजहांपुर के खाता सं0–3332331292 के दोनो चैक दिये। प्रार्थी / परिवादी द्वारा उक्त दोनों चैकों को अपने पंजाब नैशनल बैंक शाखा गढ़मुक्तेश्वर के खाता सं0–6443002100002659 मे दिनांक 29.07.2025 एवं 07.08.2025 को लगाये तो विपक्षी के खाते में पैसे न होने के कारण दोनो चैक बाउंस हो गए। उसके बाद प्रार्थी / परिवादी अपने साथ फैसल पुत्र वारिद खाँ निवासी ग्राम पलवाड़ा को लेकर विपक्षी के पास गया तथा कहा कि आपके खाते मे पैसा न होने के कारण दोनो चैक बाउंस हो गए तो विपक्षी ने प्रार्थी / परिवादी को आश्वासन दिया कि आप 20 दिन बाद चैक लगाना, आपका भुगतान हो जायेगा। प्रार्थी / परिवादी द्वारा दिनांक 28.08.2025 को पुनः अपने खाते में दोनो चैक लगाये, पैसा न होने के कारण पुनः चैक बाउंस होकर दिनांक 30.08.2025 को प्रार्थी / परिवादी को वापिस मिल गये। अब प्रार्थी / परिवादी को अन्देशा हो रहा है कि विपक्षी की नीयत मे बदनियती आ गई है तथा विपक्षी प्रार्थी / परिवादी के 74,000/– रुपये देना नहीं चाहते हैं तथा हड़प करना चाहते हैं तथा अमानत में खयानत कर रहे हैं। प्रार्थी / परिवादी ने विपक्षी / अभियुक्त को एक नोटिस दिनांक 22.09.2025 को अपने अधिवक्ता महोदय से बजरिये पंजीकृत डाक प्रेषित कराया जो विपक्षी/अभियुक्त पर दिनांक 24.09.2025 को विधिवत् तामीला हो चुका है, तामीला होने के पश्चात् समय सीमा के अन्तर्गत रकम नहीं लौटायी है।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में दो किता असल चैक संख्या 016898, अंकन 44,000/– रूपये दिनांकित 28.07.2025 व चैक संख्या 016899, अंकन 30,000/– रूपये दिनांकित 20.07.2025, एक किता असल रिटर्न मेमो, एक किता लीगल नोटिस मय असल रजिस्ट्री रसीद दिनांकित 22.09.2025 व ट्रैक रिकार्ड की प्रति दाखिल किये गये हैं।

तलबी के प्रश्न पर परिवादी मन्सूर खान के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली के परिशीलन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उपरोक्त मामले में विपक्षी तारीक खान द्वारा दो किता असल चैक संख्या 016898, अंकन 44,000/– रूपये दिनांकित 28.07.2025 व चैक संख्या 016899, अंकन 30,000/– रूपये दिनांकित 20.07.2025 दिये गये थे, जो खाता बन्द की टिप्पणी के साथ उक्त चैक रिटर्न मीमो के साथ वापिस कर दिया। परिवादी द्वारा विपक्षी को पैसे का भुगतान करने हेतु नोटिस दिया गया तथा दिनांक 22.09.2025 को प्रस्तुत परिवाद दर्ज कराया गया। नोटिस का उद्देश्य उस व्यक्ति को सूचित करना है जिसके द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया है। इससे यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अं०धारा 138 एन.आई.एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्त तारीक खान के विरूद्ध अं०धारा–138 एन.आई.एक्ट में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त एवं संतोषजनक आधार प्रतीत होता है

**आदेश**

अतः अभियुक्त **तारीक खान पुत्र वजाहत खान निवासी शाहजहांपुर, थाना किठौर, जनपद मेरठ** को अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत दिनांक–14.05.2026 के द्वारा सम्मन तलब किया जाता है।

2. परिवादी आवश्यक पैरवी अंदर सप्ताह करे तथा गवाहों की सूची पत्रावली पर दाखिल करें।

3. उपरोक्त आदेश पैरवी व गवाहों की सूची दाखिल करने के उपरान्त प्रभावी होगा।

(पारूल कुमारी)
सिविल जज (जू0 डि0)/जे.एम.,
गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.05.11 12:23:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court